

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(23)नविवि / हमीरगढ़ / 2024

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को हमीरगढ़ (जिला—भीलवाड़ा) के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2045 तक के लिये मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त करती है:—

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम
1.	हमीरगढ़
2.	कीरो की झोपड़िया
3.	तख्तापुरा
4.	काबरा
5.	बिहारीपुरा

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (पूर्व), जयपुर।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, हमीरगढ़ (जिला—भीलवाड़ा)।
- प्रौग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
- रक्षित पत्रावली।